राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
महिला संरक्षण प्रकोष्ठ
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक.एफ.27(1)(18)/निमअ/SRCW/2014–15/ जयपुर, दिनांक

## आदेश

राज्य सरकार द्वारा हिंसा से पीड़ित/प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे मनोवैज्ञानिक परामर्श, विधिक सहायता, संरक्षण सेवाएं तथा पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाने इत्यादि सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये क्रियान्वित की जा रही अपराजिता/सखी केन्द्रों को 18 वर्ष से कम आयु की हिंसा से पीड़ित/प्रभावित बालिकाओं के लिए उपयुक्त सुविधा (फिट फैसिलिटी) के रूप में उपयोग करने के लिये अधिकृत किया जाता है।

वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेन्ट सेन्टर फॉर वूमन (अपराजिता/सखी केन्द्र) को उपयुक्त सुविधा (फिट फैसिलिटी) के रूप में 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं को तात्कालिक आवश्यकताओं व उन्हें बाल मैत्री वातावरण देने हेतु आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता, बालिकाओं के मुद्दों पर विभिन्न विभागों/हितधारकों के साथ सामन्जस्य हेतु उपयोग में लिया जायेगा।

वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेन्ट सेन्टर फॉर वूमन (अपराजिता/सखी केन्द्र) के लिए भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन के अनुसार ही बालिकाओं को विधिक, परामर्श, पुलिस, चिकित्सकीय सहायता, आपातकालीन अस्थायी आश्रय इत्यादि सेवाएं उपलब्ध करवायी जाएंगी।

sd/-
आयुक्त
महिला अधिकारिता

क्रमांक.एफ.27(1)(18)/निमअ/SRCW/2014–15/ 23425-495 जयपुर, दिनांक 14-10-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीया मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
3. निजी सहायक, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता।
5. जिला कलक्टर, समस्त।
6. उपनिदेशक/सहायक निदेशक समस्त।
7. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली ।

14/10/20
उपनिदेशक
महिला संरक्षण प्रकोष्ठ